इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफ़ोलियो में निवेश जोखिम को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा.

''यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद, कॉन्ट्रैक्ट के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते हैं. पॉलिसीधारक, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस उत्पादों में निवेश किए गए पैसे को पाँचवें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरेंडर या वापस नहीं ले पाएंगे.''

एसबीआई लाइफ – सरल इंश्योरवेल्थ प्लस क्यों?

आपके लिए आपके परिवार की खुशहाली और सुरक्षा ही सर्वप्रथम है. अब, आप तनाव–मुक्त जीवन जी सकते हैं एसबीआई लाइफ – सरल इंश्योरवेल्थ प्लस के साथ, एक मार्केट लिंक्ड प्लान जो आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हुए संपत्ति का निर्माण करे. एसबीआई लाइफ – सरल इंश्योरवेल्थ प्लस एक इंडिविजुअल, यूनिट–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है जो आपको अपने सपने साकार करने के लिए अनुशासित रूप से बचत करने की खूबी और **सिस्टमैटिक मंथली विदड्रॉअल*** की आसानी के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है.

मुख्य विशेषताएँ

- **ईज़ी मंथली इंश्योरेंस :** एक चुनी गई अवधि के दौरान निश्चित मासिक राशि अलग रखकर एक कॉर्पस निर्मित करते हुए अपने सपनों/लक्ष्यों को हासिल कीजिए.
- **सुरक्षा :** दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में आप और आपके स्नेहीजनों के लिए आर्थिक सुरक्षा.
- **आपकी ज़रूरत/जोखिम वहनक्षमता के अनुकूल :** इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के विविधतापूर्ण मेल से 8 फंड विकल्प चुनने की सुविधा ताकि प्रतिफल और सुरक्षा के बीच संतुलन प्रदान किया जा सके.
- **निवेश संबंधी लचीलापन :** निम्नलिखित के ज़रिए अपने निवेश का प्रबंधन करें :
  - पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय असीमित फ्री स्विच्स
  - दूसरे पॉलिसी माह से असीमित प्रीमियम रि–डायरेक्शन्स
- **अपने फंड मूल्य को बढ़ाएं :** लॉयल्टी अभिवृद्धियों के ज़रिए#
- **सिस्टमैटिक मंथली विदड्रॉअल* :** मासिक भुगतान के ज़रिए अपने नियमित खर्चों को पूरा कीजिए.
- **कर की बचत** :** आप भारत में लागू आयकर कानूनों के अनुसार आयकर लाभ/रियायतों के लिए पात्र हो सकते हैं, जो समय समय पर बदलाव के अधीन हैं.
- **नकदीकरण :** 5वें पॉलिसी वर्ष से आंशिक निकासियाँ उपलब्ध.

*11वें पॉलिसी वर्ष से, बशर्ते सभी नियत प्रीमियम अदा किए गए हों और पॉलिसी प्रभावी हो.
**कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय समय पर बदलावों के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.
#वर्तमान में चल रही पॉलिसियों के लिए छठे पॉलिसी वर्ष के अंत से.

उदाहरण

विवरण		
आयु – 30 वर्ष	पॉलिसी अवधि – 25 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) – 25 वर्ष	
प्रीमियम – ₹10,000 प्रति माह फंड – 100% इक्विटी फंड	आश्वासित राशि – ₹12,00,000	
मैच्योरिटी पर फंड मूल्य^	4% की दर पर ₹39,64,305	8% की दर पर ₹69,07,359

19वें पॉलिसी वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक की मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में माने गए निवेश प्रतिफलों के आधार पर मृत्यु लाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है :

18वें वर्ष के अंत में मृत्यु लाभ	4% की दर पर ₹25,71,600	8% की दर पर ₹37,72,227

^फंड मूल्य संबंधी आँकड़े उदाहरण के उद्देश्यों से हैं और वे स्वस्थ जीवन के लिए हैं. कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित 4% और 8% प्रति वर्ष की मानी गई रिटर्न की दरें क्रमश: लागू प्रभारों पर विचार करने के बाद इन दरों पर केवल उदाहरणात्मक परिदृश्य हैं. ये गारंटीशुदा नहीं हैं और ये रिटर्न की उच्चतर या निम्नतर सीमाएँ नहीं हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बाज़ार के जोखिम के अधीन हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग–अलग फंड्स संबंधित फंड्स के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पॉलिसी विशिष्ट लाभ उदाहरण के लिए निवेदन करें.

प्लान के विवरण

प्रवेश पर आयु$	**न्यूनतम :** 0 वर्ष (30 दिन)	**अधिकतम :** 55 वर्ष
मैच्योरिटी पर आयु$	**न्यूनतम :** 18 वर्ष	**अधिकतम :** 65 वर्ष
प्लान का प्रकार	रेग्युलर प्रीमियम उत्पाद	
पॉलिसी अवधि^	10, 15, 20 और 25 वर्ष	
प्रीमियम की बारंबारता	मासिक	
प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी)	पॉलिसी अवधि के समान	
प्रीमियम राशि (₹100 के गुणकों में)	**न्यूनतम :** ₹8,000 प्रति माह	**अधिकतम :** कोई सीमा नहीं, जो बोर्ड द्वारा मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन है
मूल आश्वासित राशि	10 x वार्षिकीकृत प्रीमियम+ अधिकतम मूल आश्वासित राशि बोर्ड द्वारा मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन होगी	

$आयु के सभी संदर्भ पिछली वर्षगाँठ पर आयु से हैं.

+वार्षिकीकृत प्रीमियम यानी लागू करों को छोड़कर एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि.

^यदि बीमित व्यक्ति अल्पवयस्क हो तो पॉलिसी अवधि का चयन उपयुक्त रूप से किया जाना चाहिए ताकि पॉलिसी की परिपक्वता के समय बीमित व्यक्ति वयस्क हो. 8 वर्ष से कम की प्रवेश आयु वाले अल्पवयस्क के मामले में जोखिम का आरंभ पॉलिसी शुरू होने के दिनांक से 1 पॉलिसी वर्ष और 11 महीनों की पूर्णता पर होता है. 8 वर्ष और अधिक की प्रवेश आयु के लिए, जोखिम तुरंत आरंभ होता है.

पहले 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य छठें पॉलिसी वर्ष के पहले कार्य दिन पर देय होगा. 5 पॉलिसी वर्ष बाद समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य तुरंत अदा किया जाएगा.

विभिन्न प्रभार जैसे कि 'प्रीमियम आवंटन प्रभार', 'फंड प्रबंधन प्रभार' इत्यादि की कटौती की जाती है. प्रभारों और उनकी गणनाओं की पूरी सूची के लिए कृपया विक्रय विवरणिका पढ़ें.

रियायतों की निषिद्धता

समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :

1) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित विवरण पुस्तिका या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई हो.

2) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है.

Toll-free No.: 1800 267 9090 | SMS **'LIBERATE'** to 56161 | **Email:** info@sbilife.co.in | **Web:** www.sbilife.co.in
(Between 9.00 am & 9.00 pm)

एसबीआई लाइफ – सरल इंश्योरवेल्थ प्लस एक इंडिविजुअल, यूनिट–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है.

फ़र्जी फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी के ऑफ़र्स से सावधान :
IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है. इस प्रकार के फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज़ करें.

यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद पारंपरिक इंश्योरेंस उत्पादों से अलग होते हैं और ये बाज़ार के ज़ोखिमों के अधीन हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, पूँजी बाज़ार से संबंधित निवेश जोखिम के अधीन होता है और यूनिट की एनएवी, फंड की कार्यकुशलता तथा पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर कम या अधिक हो सकता है, और अपने निर्णय के लिए पॉलिसीधारक/बीमित स्वयं उत्तरदायी है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है और एसबीआई लाइफ – सरल इंश्योरवेल्थ प्लस एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, और यह किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं है. कृपया संबंधित जोखिम तथा लागू प्रभारों की जानकारी के लिए अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ से सम्पर्क करें या अपने बीमाकर्ता के पास मौजूद दस्तावेज देखें. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग–अलग फंड्स केवल फंड के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं तथा रिटर्न का संकेत नहीं हैं. फंड विकल्पों का पिछला कार्यनिष्पादन भावी कार्यनिष्पादन का संकेत नहीं करता. इस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी लाभ कर कानूनों और समय समय पर प्रभावी अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें. जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें. ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111** | CIN : L99999MH2000PLC129113.

NW/2H/ver1/01/22/SP/HIN